

न्यायालय परगनाधिकारी चांदपुर

3

वाद सं०..... १३ / १५

गौजा-फैजीपर कस्बा

नामांक खो जमीर मैमोरियल ए०स००चान्डपश्च

हारा प्रधान शेरवाज स्थान

वनाम

धारा 143 ज0 विं अधिं

परगना - चान्दपुर

सारकार

~~निर्णय~~ निर्णय १५-१६) ५-२-१५

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रबन्धक शेरबाज खान पुत्र श्री निसार खान मौ। चाहसंग करवा चान्दपुर परगना उत्तरहसील चान्दपुर जिला विजनौर के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार चान्दपुर की आख्या अन्तर्गत धारा 143 जाकि अधि के आधार पर प्राप्य है।

तहसीलदार चांदपुर के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 30.01.15 में उल्लेख किया गया है। कि ग्राम फैजीपुर कस्बा पर 20 चान्दपुर तहसील चादपुर जिला विजनौर के खाता सं 94 गाटा सं 133 धो 1.5340 हैं। के 1/2 भाग धो 0.7670 हैं, ल 0 24.60 रु 0 व खाता सं 97 के गांसं 134/2 क्षे 0.5980 हैं मे से 0.2550 है, ल 0 9.60 रु 0 पर मोके पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य वागवानी, पशुपालन, मतास्य पालन, कुकुट पालन, सुअर पालन का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है।

अतः ग्राम फैजीपुर कस्बा परगना व तहसील चांदपुर जिला विजनौर का फैजीपुर कस्बा पर ० चान्दपुर तहसील चांदपुर जिला विजनौर के खाता सो ९४ गाटा सो १३३ क्षे० १.५३४० है० के $1/2$ भाग क्षे० ०.७६७० है० लो २४.६०रु० व खाता सो ९७ के गा०सो १३४/२ क्षे० ०.५९८० है० मे से ०.२५५० है० लो ९.६०रु० को अकृषिक घोषित किये जाने की संरक्षिति की गयी है।

वारी की ओर से नकल फर्द खत्तोनी व सी0एच0 45 एवं बैनामे की छाया प्रति दाखिल किये गये। नामिका वकील व अन्य किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कियी गयी।

पांची के विद्युत अधिकारी का कथन है कि कि ग्राम फैजीपुर करवा पर ० यान्दपुर तहसील चांदपुर जिला विजनौर के खाता सो ९४ गाटा सो १३३ क्षेत्रों १.५३४० हैं ० के १/२ भाग क्षेत्रों ०.७६७० हैं, लो २४.६० रु० व खाता सो ९७ के गो ०१०३० १३४/२ क्षेत्रों ०.५९८० हैं में से ०.२५५० हैं, लो ९.६० रु० पर गोके पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य बागवानी, पशुपालन, मतस्य पालन, कुकुट पालन, सुअर पालन का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। अतः फैजीपुर करवा पर ० व तहसील चांदपुर जिला विजनौर के खाता सो ९४ गाटा सो १३३ क्षेत्रों १.५३४० हैं ० के १/२ भाग क्षेत्रों ०.७६७० हैं, लो २४.६० रु० व खाता सो ९७ के गो ०१०३० १३४/२ क्षेत्रों ०.५९८० हैं में से ०.२५५० हैं, लो ९.६० रु० को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

गैने पत्रावली का भलि-माति अवलोकन किया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्षों एवं विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर तहसीलदार चान्दपुर की आख्या दिनांक 30.01.15 स्थीकार करने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार चांदपुर की आख्या दिनांक 30.01.15 स्वीकार की जाती है। अतः ग्राम फैजीपुर करवा परगना व तहरील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता स0 94 गाटा स0 133 क्षे0 1.5340 है0 के 1/2 भाग क्षे0 0.7670 है, ल0 24.60रु0 व खाता स0 97 के गा0स0 134/2 क्षे0 0.5980 है मे से 0.2560 है, ल0 9.60रु0 को अकृपिक घोषित किया जाता है। तदानुसार अगल दरामद दर्ज कागजात हो। आदेश की प्रति तहसीलदार एवं उपनिवन्धक चांदपुर को अनुपालानार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

टिनांक

राकेश कुमार
परगनाधिकारी चांदपुर

उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खलै न्यायालय में सदधोषित किया गया।

दिनांक

